



राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

National Water Development Agency

Ministry of Jal Shakti, Government of India

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)



सं० रा.ज.वि.अ./मु.अ.(मुख्या.)/आरटीआई/2020/1869

दिनांक: 21 / 10 / 2020


आदेश

श्री सुधीर सोनी, 340, सेक्टर-7, मेन रोड, केशवपुरा, राजस्थान-3240097 (अपीलकर्ता) का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिनांक 24.08.2020 के द्वारा सूचना मांगी थी।

2. इस संबंध में यह कहना है कि सी.पी.आई.ओ द्वारा इस कार्यालय का पत्र सं० 12/13/2020-प्रशा./1663 दिनांक 23.09.2020 द्वारा मांगी गई जानकारी का जबाव दिया जा चुका है।

3. श्री सुधीर सोनी द्वारा दिनांक 30.09.2020 को प्रस्तुत पहली अपील की समीक्षा की गई है। तदनुसार अपील की जांच अधोहस्ताक्षरी ने की और यह पाया कि सी.पी.आई.ओ. द्वारा दी गई जानकारी सही है। इसके अलावा यह पाया गया कि आपके द्वारा पैरा संख्या 1 और 2 में मांगी गयी सूचना में 'क्यों' एवं 'कब' शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिसकी जानकारी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(F) के अधीन सूचना अधिकारी द्वारा देना वांछनीय नहीं है।

4. अतः उपरोक्त जवाब के मद्देनजर अपील दिनांक 30.09.2020 का निपटान किया जाता है।


21.10.2020

(आर.के.जैन)

मुख्य अभियंता (मुख्या) एवं
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

(e-mail Id - cehqnwda@redifmail.com)

☎ 26852735.

सेवा में

श्री सुधीर सोनी,
340, सेक्टर-7,
मेन रोड, केशवपुरा,
राजस्थान-3240097.

प्रतिलिपि:

1. निदेशक (प्रशा.) सीपीआईओ एवं नोडल अधिकारी, रा.ज.वि.अ., साकेत, नई दिल्ली।
2. निदेशक (एम.डी.यू.), रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली इसे रा.ज.वि.अ. की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें